

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)  
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 1(A) ( )स्था./राईस/प्रति.कार्मिक/2019/8593


जयपुर, दिनांक:- 7.9.2020

विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा नव संचालित निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय विद्यालय, जैतेश्वर धाम, सिणधरी, बाडमेर में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2<sup>nd</sup> ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेणे अध्यापक), पुस्तकालयाध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं।

प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक अपना आवेदन पत्र डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः दिनांक 30.09.2020 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में जमा करवा सकते हैं।

केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप, दिशा-निर्देश, रिक्त पदों का विवरण एवं अन्य शर्तें विभाग की वैबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2226634 पर कार्यदिवस को प्रातः 9:30 से सांयकाल 6:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।



(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
एवं सचिव राईस

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र. सं.	पद नाम	पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद	विषय	पद हेतु धारित योग्यता
1	प्रधानाचार्य	L-16	1	—	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य।
2	व्याख्याता	L-12	6	अनिवार्य हिन्दी, अनिवार्य अंग्रेजी, भैतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	सम्बन्धित विषय में व्याख्याता
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-II	L-11	2	संस्कृत, सामाजिक विज्ञान	संबन्धित विषय में वरिष्ठ अध्यापक
4	अध्यापक ले-2	L-10	3	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित	अध्यापक लेवल-2 के पद पर कार्यरत
5	शारीरिक शिक्षक-II	L-10	1	—	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालयध्यक्ष-III	L-10	1	—	पुस्तकालयध्यक्ष मूल पद पर कार्यरत।
7	प्रयोगशाला सहायक	L-8	3	—	प्रयोगशाला सहायक मूल पद पर कार्यरत

**दिशा निर्देश:-**

1. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र साफ सुथरे अक्षरों में भर कर समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित स्वयं द्वारा सत्यापित संलग्न कर दिनांक 30.09.2020 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में डाक/रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिशः जमा करा सकते हैं।
3. एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति में एक वर्ष का अन्तराल पूर्ण होना आवश्यक है। पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे।
4. अभ्यार्थी अपने मूल पद/विषय पर ही आवेदन करे। पद विरुद्ध आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
5. प्रथमतः प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए होगी, जिसमें नियमानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
6. शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को नियमानुसार विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
7. चयनित कार्मिकों को आवासीय विद्यालय में अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
8. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान (सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व) किसी विशेष परिस्थिति में कार्मिक द्वारा कार्यभार से मुक्त होने के आवेदन करने पर अथवा सेवा में अंसतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में कार्मिक को मूल जिले (पूर्व जिला) के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा) को पदस्थापन हेतु निर्देशित किया जायेगा।
9. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को राईस द्वारा पारित समस्त निर्देशों एवं अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
10. आवेदन कर्ता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/उपस्थिति प्रमाण-पत्र देय नहीं होगा।
11. कार्मिक के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित/लम्बित नहीं होनी चाहिए।



12. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित होंगे।
13. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
15. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।
16. विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्मिकों का चयन कर सूची प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को प्रेषित की जायेगी।
17. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति कि जायेगी अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा:-

10 <sup>th</sup> (A*)	12 <sup>th</sup> (A*)	U.G. (A*) B.A. B.Com B.Sc	P.G. (A*)	B.Ed (A*)	Ph. D /M.Phil degree (B*)	अकादमिक सामाजिक सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्रमाण प्रपत्र (C*)	आवासीय विद्यालय में अनुभव (D*)	कुल अंक
10	10	10	10	10	20	20	10	100

(A*) शैक्षणिक योग्यता के लिए 10 <sup>th</sup> , 12 <sup>th</sup> , UG/PG, B.Ed के लिए निर्धारित अंक	(B*) Ph. D /M.Phil degree	(C*) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में प्रशंसा पत्र, सम्मान प्राप्त करने पर निर्धारित अंक	आवासीय विद्यालय में अनुभव (D*)
1. प्रथम श्रेणी - 10 अंक 2. द्वितीय श्रेणी - 9 अंक 3. तृतीय श्रेणी - 8 अंक	Ph.d-20 अंक M.Phil-10 अंक	1. राष्ट्रीय स्तर - 20 अंक 2. राज्य स्तर - 15 अंक 3. जिला स्तर - 10 अंक	1. 2 से तीन वर्ष या अधिक - 10 अंक 2. 1 से 2 वर्ष - 5 अंक 3. 0 से 1 वर्ष - 3 अंक

18. विस्तृत जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2226634 पर कार्य दिवस को प्रातः 9:30 से सांयकाल 3:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।



राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

रजि.नं.....(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम .....

प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित पद .....

विषय.....

Recent  
Photo  
paste here

1. कार्मिक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. मूल पद एवं विषय .....
4. जन्म तिथि .....
5. गृह जिला .....
6. एम्पलॉय आई. डी.....
7. पे लेवल .....
8. आवेदक का वर्तमान पता .....
9. शिक्षा निदेशालय का नाम यथा –माध्यमिक/प्रारंभिक.....
10. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान .....
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान .....
12. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक .....
13. कुल सेवा अवधि .....
14. कुल सेवा अवधि में प्रतिनियुक्ति कार्यकाल/वर्ष (यदि हो तो) .....
15. अध्यापक लेवल-2 की प्रतिबंधित जिले में नियुक्ति दिनांक एवं जिले का नाम .....
16. मोबाईल नं. (1) ..... (2) .....
17. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.स.	परीक्षा का नाम	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी	संलग्नक संख्या
1	सैकण्डरी/समकक्ष			
2	हायर/सीनियर सैकण्डरी			
3	स्नातक			
4	स्नातकोत्तर			
5	बी.एड.			



18. अन्य अकादमिक योग्यता:-

क्र.स.	अकादमिक का नाम	योग्यता	विश्व विद्यालय जंहा से डिग्री प्राप्त की है	संलग्नक संख्या
1	Ph. D degree			
2	M.Phil degree			

19. अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता:-

स्तर	अकादमिक	सामाजिक	सांस्कृतिक व अन्य	संलग्नक संख्या
राष्ट्रीय				
राज्य				
जिला				

20. आवासीय विद्यालय में अनुभव (यदि हो तो):-

क्र.स.	पद	पे लेवल	पदस्थापित आवासीय विद्यालय	अवधि		संलग्नक संख्या
				कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं ..... घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में कोई असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :-

कार्मिक के हस्ताक्षर

नाम .....

पद .....

पदस्थापित स्थान.....

वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पद .....पदस्थापन स्थान .....

की प्रतिनियुक्ति आवासीय विद्यालय में की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:-

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय सील